उत्तर प्रदेश शासन
राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1
संख्या-ई-5789/बत्तीस-1-2010- 102/86 टी०सी०
लखनऊ: दिनांक-03 अगस्त ~~जून~~, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति निदेशालय समूह "ग" एवं समूह "घ" सेवानियमाबली, 2009 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति निदेशालय समूह "ग" एवं समूह "घ" सेवा (प्रथम संशोधन)नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति निदेशालय समूह "ग" एवं समूह "घ" सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2010 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-8 का संशोधन — 2-उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति निदेशालय समूह "ग" एवं समूह "घ" सेवा नियमावली, 2009, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-8 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान उपनियम(2)के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) सेवा में फर्राश, चौकीदार, माली, कुक सफाई कर्मी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक है:-	(2) सेवा में सुपरवाइज़र/पर्यवेक्षक पद के अतिरिक्त अन्य पदों पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक है:-

स्तम्भ-1:

क्रम संख्या	पदनाम	अर्हताएं
1	चौकीदार	(क)कम से कम कक्षा पॉच उत्तीर्ण हो। (ख)साइकिल चलाना जानता हो : परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगी। (ग) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो।

स्तम्भ-2:

क्रम संख्या	पदनाम	अर्हताएं
1	चौकीदार	(क) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से कम से कम कक्षा आठ परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। (ख)साइकिल चलाना अवश्य जानता हो : परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी। (ग) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी

					को सीधी भर्ती में अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो।
2	फर्राश	(क) शैक्षिक अर्हता आवश्यक नहीं है किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो पढ़ा लिखा हो, या देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखना पढ़ना जानता हो। (ख)साइकिल चलाना जानता हो : परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगी। (ग) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो।	2	फर्राश	(क) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से कम से कम कक्षा आठ परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। (ख)साइकिल चलाना अवश्य जानता हो : परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी। (ग) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो।
3	सफाई कर्मी	(क) शैक्षिक अर्हता आवश्यक नहीं है किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो पढ़ा लिखा हो, या देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखना पढ़ना जानता हो। (ख) सफाई कर्मी के कार्य से संबधित अपेक्षित जानकारी हो और उस कार्य का अच्छा अनुभव	3	सफाई कर्मी	(क) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से कम से कम कक्षा आठ परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। (ख) सफाई कर्मी के कार्य से संबधित अपेक्षित जानकारी हो और उस कार्य का अच्छा अनुभव हो। ।

		प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो।			को सीधी भर्ती में अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो।
5	माली	(क) शैक्षिक अर्हता आवश्यक नहीं है किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो पढ़ा लिखा हो, अथवा देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखना पढ़ना जानता हो। (ख) माली के कार्य से संबंधित अपेक्षित ज्ञान रखता हो और उस कार्य का अच्छा अनुभव हो। (ग)साइकिल चलाना जानता हो : परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगी। (घ) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो।	5	माली	(क) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से कम से कम कक्षा आठ परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। (ख) माली के कार्य से संबंधित अपेक्षित ज्ञान रखता हो और उस कार्य का अच्छा अनुभव हो। (ग)साइकिल चलाना अवश्य जानता हो : परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी। (घ) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो।
			6	चपरासी/ अनुसेवक, नोटिस वितरक/ नोटिस सर्वर, चपरासी/ नोटिस सर्वर, नोटिस सर्वर/ वितरक और संदेशवाहक	(क) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से कम से कम कक्षा-आठ परीक्षा अदश्य उत्तीर्ण की हों। (ख)साइकिल चलाना अवश्य जानता हो :

परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी।

(ग) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो।

नियम-14 का संशोधन

3-उक्त नियमावली में नियम-14 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम(2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) फर्राश, चौकीदार, माली, कुक एवं सफाई कर्मी के पदों पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली 1985 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।	(2) फर्राश, चौकीदार, माली, कुक, सफाई कर्मी, चपरासी,अनुसेवक, नोटिस वितरक, नोटिस सर्वर, चपरासी/नोटिस सर्वर, नोटिस सर्वर/वितरक और संदेशवाहक के पदों पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली 1985 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

नियम-16 का संशोधन

4-उक्त नियमावली में नियम-16 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम(1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थातः-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

परिशिष्ट का प्रतिस्थापन

5- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थातः-

स्तम्भ-1

विद्यमान परिशिष्ट

परिशिष्ट

(नियम-4(2)और 19(2)देखें)

पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान		
	स्थायी	अस्थायी	योग	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड(रू)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू0)
सुपरवाईजर /पर्यवेक्षक	-	04	04	वेतन बेण्ड-1	5200-20200	2000
फर्राश	-	06	06	-1एस	4440-7440	1300
चौकीदार	-	06	06	-1एस	4440-7440	1300
माली	-	02	02	-1एस	4440-7440	1300
कुक	-	05	05	-1एस	4440-7440	1300
सफाई कर्मी	-	06	06	-1एस	4440-7440	1300

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट

(नियम-4(2)और 19(2)देखें)

पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान		
	स्थायी	अस्थाई	योग	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड(रू0)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू0)
(1) सुपरवाईजर/पर्यवेक्षक	-	04	04	वेतन बेण्ड-1	5200-20200	2000
(2) फर्राश	-	06	06	-1एस	4440-7440	1300
(3) चौकीदार	-	06	06	-1एस	4440-7440	1300
(4) माली	-	02	02	-1एस	4440-7440	1300
(5) कुक	-	05	05	-1एस	4440-7440	1300
(6) सफाई कर्मी	-	06	06	-1एस	4440-7440	1300
(7) चपरासी	01	-	01	-1एस	4440-7440	1300
(8) नोटिस वितरक	01	-	01	-1एस	4440-7440	1300
(9) नोटिस सर्वर	04	-	04 (एक पद आस्थगित रखा गया है।)	-1एस	4440-7440	1300
(10) चपरासी/नोटिस सर्वर	02	-	02	-1एस	4440-7440	1300
(11) अनुसेवक	-	19	19	-1एस	4440-7440	1300
(12) नोटिस सर्वर/वितरक	-	07	07	-1एस	4440-7440	1300
(13) संदेशवाहक	-	10	10 (एक पद आस्थगित रखा गया है।)	-1एस	4440-7440	1300

आज्ञा से,

(नवनीत सहगल)

सचिव।